

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 जनवरी 2026 — माघ 1, शक 1947

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 जनवरी 2026

आदेश

File No.:GENCOR/12758/2025-SCHOOL EDUCATION SECTION (Home-C) .— यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ की परीक्षा से संबंधित अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये;

अतएव, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्र. 10 सन् 1979) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग “ख” के सरल क्रमांक (1) में यथा विनिर्दिष्ट “माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़” की परीक्षा से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है।

यह प्रतिषेध आदेश “15.02.2026” से मूल्यांकन कार्य समाप्ति के दिनांक “30.04.2026” तक के लिये तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामप्रसाद चौहान, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 जनवरी 2026

File No.:GENCOR/12758/2025-SCHOOL EDUCATION SECTION (Home-C) .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में गृह विभाग के आदेश क्रमांक GENCOR/12758/2025-SCHOOL EDUCATION SECTION (Home-C) दिनांक 14-01-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामप्रसाद चौहान, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 14th January 2026

ORDER

File No.GENCOR/12758/2025-SCHOOL EDUCATION SECTION (Home-C).— Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expendent in the public interest to prohibit refusal to work in the essential service relating to the examination of the Chhattisgarh Board of Secondary Education in the State of Chhattisgarh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government, hereby, prohibits the refusal to work by all officers and employees related to the examination of the " Chhattisgarh Board of Secondary Education, " as specified in serial number (1) of Part "B" of the Schedule of the said Act.

This prohibition order shall come into immediate effect from "15.02.2026" till the date of completion of evaluation work on "30.04.2026".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAMPRASAD CHOUHAN, Deputy Secretary.